[2019] 14 एस. सी. आर. 628

संघ लोक सेवा आयोग

बनाम

जवाहर संतकुमार और अन्य

(2009 की सिविल अपील सं. 4626)

15 नवंबर 2019

[न्यायमूर्तिगण आर. भानुमति, ए. एस. बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय]

आई. ए. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955– विनियम 5 (1), 5 (4) और 5 (5)– भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) में वर्ष 2004 के लिए में तमिलनाडु संवर्ग हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तीन रिक्तियां में पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित किया गया था। प्रथम उत्तरवादी का नाम अन्य उत्तरवादी क्रमांक–4&5 के नामों के साथ विचार किया गया। प्रत्यर्थी पर प्रत्यर्थी संख्या के नामों के साथ विचार किया गया। प्रथम उत्तरवादी का नाम 2004 की चयन सूची शामिल नहीं किया जा सका। भारत सरकार के द्वारा उत्तरवादी क्रमांक– 4 & 5 नियुक्त किया गया– – प्रथम उत्तरवादी के द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मद्रास बेंच के सामने चुनौती दी गई– निरस्त–पुनर्विलोकन आवेदन – खारिज –अधिकरण का आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज। अभिनिर्धारित – जब पदोन्नति हेतु किसी अधिकारी की उपयुक्ता का आकलन करते है तो चयन समिति अखिल भारतीय सेवाआें में प्रवेश करने वाले मामले के समान और निरंतर रूप से पालन करते हुये पात्र अधिकारियों के सेवा रिकार्ड विशेष रूप से उसके पिछले पांच वर्ष (उस वर्ष से पहले जिसके लिए चयन सूची है) की जांच , विभिन्न वर्षों के लिए ए. सी. आर. करने वाले प्रतिवेदित/समीक्षात्मक /स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के द्वार विभिन्न स्तंभों में इंद्राज किये गये इंगित अधिकारी की गुणवत्ता पर विचार–विमर्श किया। चयन समिति के द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए ए. सी. आर. में विचार किया और सभी अधिकारियों का सापेक्षिक मूल्यांकन किया। चयन समिति के द्वारा प्रथम उत्तरवादी को दिये गये संपूण ग्रेड और रिक्तियो की संख्या तीन होने से 2004 की चयन सूची में प्रथम उत्तरवादी का नाम सम्मलित नहीं किया गया । जिसके आधार पर उसका नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग वर्ष 2004 में पदोन्नति के लिये उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था। राज्य सिविल सेवा से आई. ए. एस. के पदोन्नति के लिए चयन उनकी योग्यता, क्षमता और उपयुक्तता के कठोर आधार पर होता है। – प्रथम प्रत्यर्थी के इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि उसकी वरिष्ठता के कारण उनका नाम चयन सूची में शामिल किया जा सकता था –

चयन समिति द्वारा अपेक्षित मूल्यांकन के गुणों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाता है– वरिष्ठता केवल तभी प्रासंगिक होगी जब उम्मीदवारों की गुण समान होगी–जब चयन समिति अपना वर्गीकरण कर चुकी है , तो अदालत विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील नहीं हो सकती है–उच्च न्यायालय के फैसले को रदद कर दिया गया है– आगे उत्तरवादी क्रमांक–१ के द्वारा जी. ओ. एम.एस No.1125 दनांक 26.11.2011 को दी गयी चुनौती को इस यहां दिये गये मत से प्रभावित हुये बिना स्वयं के गुणो के आधार पर विचार किया जाये। भारतीय सेवा कानून १९५१ – सेवा कानून – पदोन्नति।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित 1.1 अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 को भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति और शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार ने आई. ए. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (पदोन्नति विनियम) बनाए हैं। उक्त पदोन्नति विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति चयन समिति राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का पदोन्नति के जरिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये चयन करती है। पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (1) में,राज्य संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये एक विशेष भर्ती वर्ष के लिए चयन हेतु रिक्तियों की संख्या का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार (डीओपीटी) द्वारा किया जाता है। इसके बाद, राज्य सरकार वरिष्ठता सूची, राज्य सेवा अधिकारियों की पात्रता सूची (रिक्तियों की संख्या का तीन गुना), सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में विवरण और योग्य अधिकारियों पर लगाए गए दंड का विवरण आदि के साथ आयोग को एक प्रस्ताव भेजती है। जब चयन समिति भर्ती वर्ष के चयन के लिए मिलती है, तो उपरोक्त दस्तावेजों को पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (4) के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति के समक्ष रखा जाता है।

समिति राज्य प्रशासनिक सेवा पात्र अधिकारियों के सेवा पुस्तिका का समग्र सापेक्ष मूल्यांकन कर जैसा भी मामला हो "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" या "अनुपयुक्त" के रूप में विधिवत वर्गीकृत करती है। इसके बाद, पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति आवश्यक संख्या में नामों को शामिल करके पहले "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से, फिर समान रूप से "बहुत अच्छे" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से और उसके बाद "अच्छे" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से एक सूची तैयार करती है। पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करते समय, चयन समिति, अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के मामले में अपनाई जाने वाली एकसमान और निरंतर प्रथा का अनुसरण किया जाता है और प्रत्येक योग्य अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड की जांच करती है, जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारियों के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ के साथ (उस वर्ष से पहले जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है)। विभिन्न वर्षो के लिये तैयार वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के विभिन्न स्तंभो में प्रतिवेदित/समीक्षात्मक /स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के द्वारा दर्ज अधिकारी की गुणवत्ता पर विचार–विमर्श करना और फिर विस्तृत आपसी विचार–विमर्श और चर्चा के बाद, अंत में प्रत्येक अधिकारी को दिये जाने वाले वर्गीकरण पर पहुँचता है। ऐसा करते समय, चयन समिति समग्र रूप से यह भी निर्धारित करती है गोपनीय रिपोर्ट (सी. आर.) में दर्ज ग्रेडिंग विभिन्न विशिष्ट मापदंडों या विशेषताओं के तहत दर्ज ग्रेडिंग/टिप्पणियों के साथ असंगत नहीं है। चयन समिति संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए गुणवत्ता पूर्ण कार्यों के लिए किये गये प्रशंसा के आदेश और दिये गये दंड के आदेशों को भी ध्यान में रखती है और ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी जो अधिकारी को विधिवत रूप से सूचित करने और उनके अभ्यावेदन पर समुचित विचार के बाद भी मिटाया नहीं गया हैं। संघ लोक सेवा आयोग विनियम 6 के तहत राज्य सरकार से प्राप्त अभिलेखों और पदोन्नति विनियमों का विनियम 6 ए,के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त टिप्पणी को तथा चयन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति

विनियमों का विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का चयन प्रासंगिक अभिलेखों के आधार पर और प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया का सभी राज्यों/संवर्गों के अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश के लिए समान रूप से पालन किया जाता है।

[पैरा 11–13] [637–डी–एच; 638–ए बी–ई–एच; 639–ए–बी]

1.2 जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के लिए विचार के योग्य अधिकारियों की सूची में प्रथम प्रतिवादी का नाम शामिल किया था। तदनुसार, चयन समिति ने एसीआर पर भी विचार किया और विचाराधीन सभी अधिकारियों के लिए एक सापेक्ष मूल्यांकन किया। प्रथम उत्तरदाता का नाम वर्ष 2004 की चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि चयन समिति द्वारा उन्हें दी गई समग्र श्रेणी निचली थी और केवल तीन रिक्तियां थी। चूंकि प्रथम उत्तरदाता का नाम वर्ष 2004 में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका था, इसलिए प्रथम उत्तरदाता को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था। राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन अधिकारियों की योग्यता, क्षमता और उपयुक्तता के कठोर आधारों पर होता है। राज्य न्यायाधिकरण के दिनांक 26.06.2002 के आदेश द्वारा प्रथम उत्तरवादी को डी. आर. ओ. के संवर्ग में पदोन्नत करने का आदेश दिया गया था। लेकिन प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को G.O.Ms नंबर 924 , 05.09.2005 को पुन निर्धारित किया गया था। बेशक, 2004 की चयन समिति की बैठक के बाद राज्य सरकार के द्वारा प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को फिर से तय किया गया था। [पैरा 14,17 और 18] [639–सी–डी; 640–ए; 641–सी–डी]

एम. वी. थिमैया और अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य (2008) 2 एस. सी. सी. 119: [2007] 13 एस. सी. आर. 624–पर निर्भर।

1.3 प्रथम उत्तरवादी का यह तर्क मान्य नहीं है कि उसकी वरिष्ठता के कारण उसका नाम चयन सूची में शामिल हो सकता है। चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर सापेक्ष मूल्यांकन कर श्रेणीकरण किया जाता है। वरिष्ठता तभी प्रासंगिक होगी जब उम्मीदवारों की योग्यता समान होगी। उम्मीदवारों को वर्गीकृत करने की शक्ति चयन समिति का कार्य है। पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (4) और 5 (5) के तहत चयन की प्रक्रिया में, चयन समिति को पात्र अधिकारियों के संबंध में या वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता में उच्च योग्यता वाले कनिष्ठ अधिकारी के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन के संबंध में कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 20,22] [641–एच; 642–ए–बी; 643–ई–एफ]

आर. एस. दास बनाम भारत संघ और अन्य (1986) सप. एससीसी 617: [1987] एस. सी. आर. 527–निर्भर।

यूपीएससी वी. के. राजैया और अन्य (2005) 10 एससीसी 15 – लागू किया गया।

1.4 जब चयन समिति ने अपना वर्गीकरण, दे दिया है तो न्यायालय विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील में नहीं बैठ सकता है। वर्तमान मामले में, न तो चयन समिति के निर्णय और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को मनमाने ढंग से किया गया है। चूंकि मूल्यांकन वर्ष 2004 के लिए प्रथम उत्तरवादी की श्रेणी निचली थी , इसलिए प्रथम उत्तरवादी को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था। उसके सेवा अभिलेखों के समग्र मूल्यांकन पर भी प्रथम उत्तरवादी का नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उसके आकार की वैधानिक सीमा थी और विनियमों के विनियमन 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची में उच्च श्रेणी वाले अधिकारी उपलब्ध थे। उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने में सही नहीं था कि चयन समिति मामले के सभी पहलुओं को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में आकलन करने में बुरी तरह विफल रही है और यह कि वर्ष 2004 की रिक्तियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में की गई पदोन्नति दूषित है और इसकी समीक्षा की जानी है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रदद कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप,मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.33696/2007 में पारित दिनांकित 17.04.2008 के विवादित फैसले को रदद कर दिया गया है। जहाँ तक प्रथम उत्तरवादी द्वारा जी. ओ. एमएस No.1125 दिनांक 26.11.2011 को दी गई चुनौती का संबंध है,, इस निर्णय में व्यक्त किए गए किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना अपने गुणों पर विचार किया गया। [पैरा 24–26] [645–A–GH; 646–A–C]

संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम. साथिया प्रिया और अन्य (2018) 15 एससीसी 796: [2018]6 एससीआर 701– पर विश्वास व्यक्त किया।

संदर्भित कानूनी मामले

[2007] 13 एससीआर 624 पैरा 17 पर विश्वास व्यक्त किया

[1987] एससीआर 527 के पैरा 20 पर विश्वास व्यक्त किया

(2005) 10 एससीसी 15 पैरा 23 को लागू किया

[2018] 6 एससीआर 701 पैरा 24 पर विश्वास व्यक्त किया

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4626 वर्ष् 2009 का ।

उच्च न्यायालय मद्रास के डब्ल्यू. पी. सं. 33696 वर्ष 2007 के आदेश और निर्णय 17.04.2008 से

के साथ

सी. ए. नं. 4628/2009

उपस्थित पक्षकारों के लिये एस. सत्यम रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता , एम.एस बीनू टम्टा, एम. योगेश कन्ना, एस. राजा राजेश्वरन (बी. बालाजी के स्थान पर), के. के. एस. कृष्णराज, मोहन मुरली, एम.एस अश्वथी एम. के., कारी वेंकट रेड्डी, एम.एस प्रियंका दास, अरविंद कुमार शर्मा और सचिन शर्मा, अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति आर. भानुमित के न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया

1. ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.33696 वर्ष 2007 का में दिनांक 17.04.2008 को पारित आक्षेपित निर्णय से विवादित फैसले से उत्पन्न होती हैं। जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को रदद कर दिया और अपीलकर्ताओं और भारत संघ (डी. ओ. पी. टी.) को वर्ष 2004 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) में की गई पदोन्नति समीक्षा के लिए चयन समिति की बैठक बुलाने और प्रथम प्रतिवादी को उन सभी परिणामी लाभों के साथ उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किये गये दिनांक से पदोन्नत करने का निर्देश दिया था।

2. जिन कारणो ये अपीलें दायर की गईं, वह संक्षेप में इस प्रकार हैंः

वर्ष 2004 के लिए तमिलनाडु संवर्ग से आई. ए. एस. में पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तीन रिक्तियों के विरुद्ध 18.12.2004 को चयन समिति की बैठक आयोजित किया गया था।उक्त सिमित के द्वारा प्रथम उत्तरवादी का नाम उत्तरवादी क्रमांक–4 और 5 के नामों के साथ विचार किया गया था। चयन समिति द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी और चयन सूची में शामिल अधिकारियों के संबंध में निर्धारित पात्रता सूची (ई. एल.), चयन सूची (एस. एल.) और समग्र सापेक्ष मूल्यांकन (ओ. आर. ए.) में पद निम्नानुसार हैंः

वर्ष	उत्तरवादी क्रमांक–1 की स्थिति	चयनित अधिकारियों के नाम और नाम और जगह			
एस एल 2004		नाम	ई एल	ओ आर ए	एस एल
रिक्तियॉः 03	ई एल मेंः 04	टीके पोन्नूसामी	01	बहुत अच्छा	01
एस एल साईजः 03	ओर.आर.ए.– अच्छा	एन मथीवानान	02	बहुत अच्छा	02
विचार क्षेत्रः 09	एस एल मेंः शमिल नहीं	श्रीमति आर वासुकी	03	बहुत अच्छा	03
		* * मंजूरी के अधीन अस्थायी रूप से शामिल उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान करना			

प्रथम उत्तरवादी की पदोन्नति के लिए विधिवत विचार किया गया और वर्ष 2004 और उस वर्ष के लिए "अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किया गया। लेकिन प्रथम उत्तरदाता का नाम वर्ष 2004 की चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि चयन समिति द्वारा उन्हें दी गई समग्र श्रेणी निचली थी और केवल

तीन रिक्तियां थी। उत्तरवादी क्रमांक– 4 व 5 जिनका नामा चयन सूची में शामिल था उन्हें भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.04.2005 द्वारा नियुक्त किया गया ।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी नियुक्ति नहीं होने से प्रथम उत्तरवादी के द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की मद्रास पीठ में आेए नंबर 749/2006 दायर किया। उक्त दायर आवेदन को अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2007 के माध्यम यह अभिनिर्धारित करते हुये निरस्त किया कि प्रथम उत्तरवादी का नाम राज्य सरकार ने वर्ष 2004 के लिय विचार हेतु पात्र अधिकारी सूची में शामिल किया था और चयन समिति ने प्रथम उत्तरवादी के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली –(ACRs) और विचारधीन सभी अधिकारियों का सापेक्ष मूल्यांकन पर विचार किया है। अधिकरण ने इस बात को भी बताया कि चयन समिति ने विभिन्न कॉलमों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर स्वयं मूल्यांकन किया और समिति में आपसी चर्चा के उपरांत अंतिम रूप से अधिकारियों को उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अनुपयुक्त" की श्रेणी दिया गया है । निष्कर्षत चयन समिति द्वारा किया गया सापेक्ष मूल्यांकन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इसलिये अधिकरण ने प्रथम उत्तरवादी के द्वारा पेश आवेदन को निरस्त कर दिया । उसके बाद प्रथम उत्तरवादी ने प्रकरण आेए नंबर 749/2006 में पुनर्विलोकन आवेदन आरए नंबर 27/2007 अधिकरण के आदेश दिनांक 31.8.2007 के पुनर्विलोकन के लिये पेश किया। उक्त पुनर्विलोकन आवेदन को अधिकरण ने आदेश दिनांक 3.10.2007 के द्वारा खारिज कर दिया।

4. अपने आवेदन के खारिज होने से व्यथित, प्रथम उत्तरवादी ने रिट याचिका डब्ल्यू. पी. No.33696/ 2007 दायर की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 26.06.2002 के द्वारा जिला राजस्व अधिकारी के संवर्ग में प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को निर्धारित करने का निर्देश दिया था ,लेकिन प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को राज्य सरकार द्वारा उचित समय के भीतर पुनः निर्धारित नहीं किया गया था और 39 महीनों की लंबी और अस्पष्टीकृत देरी के साथ प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को G.O.Ms No.924 दिनांकित 05.09.2005 के माध्यम से फिर से तय किया गया जो अनुचित था और इस प्रकार, प्रथम उत्तरवादी के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ क्योंकि उसके कनिष्ठ अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक– 4 और 5 को आई. ए. एस. में पदोन्नत किया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि विनियमन 5 (5) के अनुसार, चयन समिति द्वारा किसी व्यक्ति का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ष 2003 के लिए, समिति द्वारा प्रथम उत्तरवादी के समग्र मूल्यांकन को "बहुत अच्छा" घोषित किया गया था; जबकि 2004 की चयन सूची के संबंध में प्रथम उत्तरवादी का समग्र रूप से मूल्यांकन केवल "अच्छा" था और इसका कोई कारण नहीं था कि अचानक प्रथम उत्तरवादी की समग्र मूल्यांकन में उसकी श्रेणी निम्न क्यों किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस बात का भी मुख्य उल्लेख किया कि श्री टी. के. पोन्नुसामी नाम के एक अन्य व्यक्ति के लिए, जिन्हें 2003 में "अनफिट" का दर्जा दिया गया था, उन्हें 2004 में "बहुत अच्छा" का दर्जा दिया गया था और श्री टी. के. पोन्नुसामी के वर्गीकरण/समग्र मूल्यांकन में इस तरह की अचानक वृद्धि का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब टी. के. पोन्नुसामी, जिनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था,चयन सूची में शामिल करने के लिए प्रथम उत्तरवादी पर वरीयता दिये जाने की सराहना नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को यह कहते हुए चयन समिति और ट्रिब्यूनल मामले के सभी

पहलुओं का उचित परिप्रेक्ष्य में आकलन करने में विफल रही है निरस्त कर दिया और अपीलार्थी तथा उत्तरवादी क्रमांक–2 व 3 को वर्ष 2004 के लिए आई. ए. एस. में की गई पदोन्नति की समीक्षा के लिए एक चयन समिति की बैठक बुलाने और प्रथम उत्तरवादी को उस तारीख से आई. ए. एस. में पदोन्नत करने का निर्देश दिया जब उसके कनिष्ठों को सभी परिणामी लाभ के साथ पदोन्नत किया गया था।

5. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और तमिलनाडु सरकार ने व्यथित होकर इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। जब अपीलों को सुनवाई के लिए लिया गया, तो इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि पहले प्रथम उत्तरवादी को आय से अधिक संपत्ति का कब्ज़ा और सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, त्रिची के द्वारा अपराध क्रमांक–37/2008 के आपराधिक प्रकरण में उसकी संलिप्तता होने के आधार के आरोप पर G.O.Ms क्रमांक 1125 दिनांक 26.11.2011 के माध्यम से बर्खास्त कर दिया गया है।

6. प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. सत्यम रेड्डी ने प्रस्तुत किया कि प्रथम उत्तरवादी ने सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिनांक 26.11.2011 को एक रिट याचिका डब्ल्यू. पी. No.28724 /2011 दायर कर चुनौती दिया था । यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने उक्त बर्खास्तगी आदेश दिनांक 26.11.2011 को रद्द कर दिया है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है। चूंकि उपरोक्त G.O.Ms No.1125 दिनांकित 26.11.2011 एक बाद की घटना है, हमने वर्तमान अपीलों पर उसके गुण दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है।

7. अपीलार्थी–यूपीएससी के विद्वान अधिवक्ता एम.एस बीनू टम्टा ने आक्षेपित निर्णय की आलोचना करते हुये प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि यदि प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता उचित समय के भीतर तय की गई होती, तो प्रथम उत्तरवादी को आईएएस में पदोन्नत किया जाता। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि केवल यह तथ्य कि प्रथम उत्तरवादी पात्र था और उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नाम चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से आई. ए. एस. के लिए चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता, क्षमता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है और वरिष्ठता को केवल वहीं माना जाता है जहां योग्यता, क्षमता और उपयुक्तता लगभग समान होती है। यू. पी. एस. सी. बनाम के. राजैया और अन्य (2005) 10 एस. सी. सी. 15, पर निर्भरता व्यक्त कर अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चयन समिति अपना स्वयं का वर्गीकरण विकसित कर सकती है जो ए. सी. आर. एस. में दिए गए श्रेणीकरण से भिन्न हो सकता है और वर्ष 2004 के लिए प्रथम उत्तरवादी का "अच्छा" के रूप में वर्गीकरण किये जाने को उच्च न्यायालय गलत नहीं ठहराय जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि श्री टी. के. पोन्नुसामी जिनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था,को विनियमन 5 (5) के संदर्भ में चयन सूची में शामिल करना, केवल अस्थायी था और इसे उच्च न्यायालय द्वारा गलत नहीं ठहराया जा सकता था।

8. तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री योगेश कन्ना ने उपरोक्त दलीलों को दोहराते हुए, तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना गलत है कि संबंधित प्राधिकारियों ने पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया से कार्य किया प्रथम उत्तरवादी की अवैधता को बनाये रखा ।

9. प्रथम उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जब राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 26.06.2002 द्वारा प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता बहाल कर उसे उत्तरवादी क्रमांक– 4 और 5, से वरिष्ठ बना दिया, तो राज्य सरकार ने प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता तय करने का आदेश जारी करने में जानबूझकर देरी की और प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता G.O.Ms क्रमांक 924 दिनांक 05.09.2005 द्वारा तय की गई थी। लेकिन इस बीच, प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 को 2004 की चयन सूची के अनुसार आईएएस के पद पर उसी आदेश G.O.Ms क्रमांक 924 दिनांक 05.09.2005 द्वारा पदोन्नत किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को पुनः तय करने में 39 महीने की लंबी और अस्पष्ट देरी अनुचित है और इससे प्रथम उत्तरवादी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि विनियमन 5(2) में प्रावधान है कि चयन समिति राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के मामलों में वरिष्ठता के क्रम संख्या के आधार पर विचार करेगी और उच्च न्यायालय ने ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चयन की प्रक्रिया में वरिष्ठता प्रभावित करेगी । आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चयन समिति द्वारा प्रथम उत्तरवादी को "बहुत अच्छा" से "अच्छा" में श्रेणी दिये जाने का कोईकारण नहीं बताया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवाक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दागी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति (श्री टी. के. पोन्नुसामी) "बहुत अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किया गया था; जबकि पहले के अवसरों पर, उन्हें "अनुपयुक्त" पाया गया था, और पहले उत्तरवादी को "बहुत अच्छा" से "अच्छा" में श्रेणीबद्ध करने का कोई वैध कारण नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि चयन समिति के निष्कर्ष विवेक का उपयोग न करने के कारण दूषित हैं और अपीलार्थियों को वर्ष 2004 के लिए आई. ए. एस. में की गई पदोन्नति की समीक्षा के लिए चयन समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

10. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और विवादित फैसले और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। विचार करने योग्य मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि चयन समिति ने व्यक्तिगत अधिकारियों को वर्गीकृत करने में समान मानकों का पालन नहीं किया, जिसका सीधा असर आई. ए. एस. के लिए उनके चयन पर पड़ता है। विचार के लिए एक और बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थी को समीक्षा चयन समिति की बैठक बुलाने और प्रथम उत्तरवादी को उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से सभी परिणामी लाभों के साथ आई. ए. एस. पदोन्नत करने का निर्देश देने में सही था।

11. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। । उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार ने आई. ए. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (पदोन्नति विनियम) बनाए हैं। उक्त पदोन्नति विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यूपीएससी के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए राज्य

सिविल सेवा अधिकारियों का चयन करती है । पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (1) में, राज्य संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए किसी विशेष भर्ती वर्ष के लिए जिन रिक्तियों का चयन किया जाना है, उनकी संख्या भारत सरकार (डीओपीटी) द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है। इसके बाद, राज्य सरकार राज्य सेवा अधिकिारयों की वरिष्ठता सूची, पात्रता सूची (रिक्तियों की संख्या का तीन गुना), सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, और योग्य अधिकारियों आदि पर अधिरोपित किये अनुशासनात्मक कार्यवाही के संपूर्ण विवरण और दंड के विवरण के साथ और पात्र अधिकारियों के पूर्ण ए. सी. आर. डोजियर के साथ आयोग को एक प्रस्ताव भेजती है । जब चयन समिति भर्ती वर्ष के लिए चयन के लिए मिलती है, तो उपरोक्त दस्तावेजों को पदोन्नति विनियमन 5 (4) के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति विचार किये जाने योगय राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर जैसा भी मामला हो "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" या "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करती है। इसके बाद, पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार, चयन समिति पहले "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से, फिर समान रूप से "बहुत अच्छे" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से और उसके बाद "अच्छे" के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से आवश्यक संख्या में नामों को शामिल करके एक सूची तैयार करती है। विनियम 5 (4) और 5 (5) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> " 5 (4) . चयन समिति योग्य अधिकारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करेगी।
>
> 5 (5) . सूची तैयार करने के लिए अंतिम रूप से वर्गीकृत अधिकारियों में से पहले आवश्यक संख्या में नाम शामिल किए जाएंगे। पहले ' उत्कृष्ट 'फिर समान रूप से' बहुत अच्छा 'के रूप में वर्गीकृत लोगों में से और उसके बाद समान रूप से वर्गीकृत लोगों में से 'अच्छे' के रूप में वर्गीकृत और प्रत्येक श्रेणी के भीतर नामों का क्रम राज्य सिविल सेवा में उनकी व रिष्ठता के क्रम में होगा।

12. जब पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करते है तो चयन समिति, अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किए जाने के मामले के समान और निरंतर अभ्यास के अनुरूप प्रत्येक योग्य अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड की जांच, पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकारियों के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ के साथ (उस वर्ष से पहले जिसके लिए चयन सूची तैयार की जा रही है), अधिकारी की गुणवत्ता पर जो की विभिन्न वर्षो की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दर्ज विभिन्न स्तंभों में दर्ज किया गया है, पर विचार–विमर्श करता है और फिर विस्तृत आपसी विचार–विमर्श और चर्चा के बाद, अंत में प्रत्येक अधिकारी को दिये जाने वाले वर्गीकरण पर पहुंचता है।

13. ऐसा करते समय, चयन समिति यह भी निश्चित करती है कि गोपनीय रिपोर्ट (सी. आर.) में समग्र ग्रेडिंग दर्ज की जाये और गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज समग्र ग्रेडिंग गोपनीय रिपोर्ट के विभिन्न विशिष्ट मापदंडों या विशेषताओं के तहत ग्रेडिंग/टिप्पणियों के साथ असंगत नहीं है। चयन समिति संबंधित

अधिकारियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के सराहना के संबंध में आदेशों को ध्यान में रखती है और दंड देने के आदेश या किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी जिसे अधिकारी को सूचित किया गया, जो कि अभ्यावेदन किये जाने के बाद भी हटाया नहीं गया है को भी ध्यान में रखते हैं। यू. पी. एस. सी. विनियमन 6 के तहत राज्य सरकार से प्राप्त अभिलेखों पर विचार करने और पदोन्नति विनियमों के विनियमन 6 ए के तहत प्राप्त केंद्र सरकार के राय को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नति विनियमों के विनियमन 7 के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेता है। आई. ए. एस. में पदोन्नति के लिए राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का चयन प्रासंगिक अभिलेखों के आधार पर और प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया का सभी राज्यों/संवर्गों से अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के मामले के लिए समान रूप से पालन किया जाता है।

14. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के लिए विचार हेतु पात्र अधिकारियों की सूची में प्रथम उत्तरवादी का नाम शामिल किया गया था। । तदनुसार, चयन समिति ने एसीआर पर भी विचार किया और सभी विचाराधीन अधिकारियों के लिए एक सापेक्ष मूल्यांकन किया। वर्ष 2004 की चयन सूची में प्रथम उत्तरवादी का नाम शामिल नहीं किया गया क्योंकि चयन समिति द्वारा उन्हें दी गई समग्र श्रेणी कम थी और केवल तीन रिक्तियां थीं। चूंकि प्रथम उत्तरवादी का नाम वर्ष 2004 में आई. ए. एस. संवर्ग में पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका था, इसलिए प्रथम उत्तरवादी को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था।

15. यद्यपि प्रथम प्रत्यर्थी का तर्क है कि श्री टी. के. पोन्नुसामी पर आपराधिक मामला चल रहा था, लेकिन उनका नाम मामले में शामिल किया गया था और जब चयन सूची में आपराधिक मामला रखने वाले व्यक्ति को शामिल किया गया था, तो प्रथम उत्तरवादी का नाम शामिल किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि श्री टी. के. पोन्नुसामी, जिन्हें वर्षचयन सूची 2003 के लिए "अयोग्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें चयन सूची 2004 के लिए "बहुत अच्छा" घोषित किया गया है लेकिन श्री टी. के. पोन्नुसामी के वर्गीकरण/समग्र मूल्यांकन में अचानक वृद्धि पूरे समय अनुत्तरित रही है।

16. बेशक, श्री टी. के. पोन्नुसामी पर आपराधिक मामला चल रहा था। लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें चयन सूची 2004 में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के क्लियर होने के अधीन अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किया था और ऐसे अधिकारी जो विचाराधीन क्षेत्र में शामिल हैं, उन पर विचार किया गया जाना, भले ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। हम अपीलार्थी–यूपीएससी के तर्क में सार पाते हैं कि चयन समिति ने उन विनियमों के अनुसार सख्ती से काम किया और उत्तरवादी क्रमांक–.2 और 3 का चयन वैधानिक नियमों के किसी भी उल्लंघन से पीड़ित नहीं है।

17. राज्य सिविल सेवा से आई. ए. एस. के लिए चयन अधिकारियों की योग्यता, क्षमता और उपयुक्तता के आधार पर होता है। एम. वी. मैया और अन्य बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और धारा (2008) 2 एस. सी. सी. 119, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 21. अब, उम्मीदवारों के चयन के संबंध में सवाल आता है। आम तौर पर, चयन समिति की सिफारिशों को दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अदालतें अपील अदालत की तरह चयन समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं सकती हैं। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और अदालतें उम्म्दीवार के चयन की जांच के लिये कभी कभार अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करती है ,प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करना और अपनी राय दर्ज करना अदालत का काम नहीं है।

... ...

36. इसलिए, कई मामलों को देखते हुए, अदालतें आम तौर पर एसीआर का आकलन करने के लिए अपील की अदालत के रूप में बैठने का कार्य नहीं करती हैं और बहुत कम न्यायाधिकरण को वैधानिक चयन समिति पर एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन करने की यह शक्ति दी जा सकती है। आयोग द्वारा पहले ही दिशा–निर्देश दिए जा चुके हैं कि ए. सी. आर. एस. का मूल्यांकन कैसे किया जाए और अंकन कैसे किया जाए। ये दिशा–निर्देश उचित जांच का ध्यान रखते हैं और न केवल चयन समिति द्वारा बल्कि राज्य सरकार के विचार भी प्राप्त किए जाते हैं और अंततः आयोग जांच के बाद अंतिम सूची तैयार करता है जिसे नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार।को भेजा जाता है। वहाँ भी केंद्र सरकार के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह सिफारिश के अनुसार सभी व्यक्तियों को नियुक्त करे और केंद्र सरकार अभिलिखित कारणों से चयन सूची में कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति को रोक सकती है। इस मूल्यांकन को अदालत या न्यायाधिकरण की जांच का विषय नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि वह दुर्भावना से प्रेरित न किया जाए।

37. ..... चयन समिति आम तौर पर रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन का पालन करती है। लेकिन चयन समिति शक्तिहीन नहीं है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद, चयन समिति निश्चित रूप से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश चयन समिति को रिपोर्टिंग अधिकारी या समीक्षा अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों का आकलन करने और किए गए सराहनीय कार्य या किसी भी सजा या दंड या प्रतिकूल टिप्पणी की गई जिसे बाद में हटा दी गई जैसे विभिन्न कारकों को प्रतिनिधित्व उम्मीदवारों के बारे में मूल्यांकन की समीक्षा कर सकता है। चयन समिति की मूल्यांकन की ऐसी समीक्षा पूरी तरह से क्षमता के भीतर है.....

18. जैसा कि पहले बताया गया है, राज्य न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांकित 26.06.2002 से प्रथम उत्तरवादी को डी. आर. ओ. के संवर्ग में पदोन्नत करने का आदेश दिया गया है। लेकिन प्रथम

उत्तरवादी की वरिष्ठता को 05.09.2005 G.O.Ms No.924 के आदेश से पुनर्निर्धारित किया गया । बेशक, प्रथम उत्तरवादी की वरिष्ठता को 2004 की चयन समिति की बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार उचित समय के भीतर प्रथम प्रतिवादी की वरिष्ठता निर्धारित की गई होती, तो चयन समिति द्वारा प्रथम प्रतिवादी के वर्गीकरण/समग्र मूल्यांकन का सही मूल्यांकन किया जाता। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जब संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले उम्मीदवार पर विचार किया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रथम उत्तरवादी पर भी विचार किया जाता और उसे आई. ए. एस. में पदोन्नत किया जाता और केवल राज्य सरकार की विलंबित कार्रवाई या चयन समिति की अनुचित कार्रवाई के कारण, वास्तविक उम्मीदवार की संभावना को दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। उन निष्कर्षों के साथ, उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रथम उत्तरवादी इस सामान्य कारण से पीड़ित किया गया है इसलिये उसने उसकी वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी मंच से संपर्क किया।

19. प्रथम उत्तरवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दोहराते हुए और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से राय व्यक्त किया है कि न्यायाधिकरण द्वारा उचित समय के भीतर वरिष्ठता का निर्धारण न करने से प्रथम प्रतिवादी के मामले में उसकी पदोन्नति प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क में प्रस्तुत किया कि विनियमन 5 (2) के अनुसार, चयन सूची में शामिल करने के लिए, समिति राज्य सिविल के सदस्यों के मामलों पर वरिष्ठता के क्रम में विचार करेग और केवल वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण में देरी के कारण, पहले प्रतिवादी का नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका था ।

20. हम पहले के उपरोक्त तर्क में कोई गुणवता नहीं पाते हैं। प्रथम उत्तरवादी ने कहा कि उसकी वरिष्ठता के कारण उसका नाम चयन सूची में शामिल किया जा सकता था। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, चयन समिति के द्वारा योग्यता के अनुसार सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है। वरिष्ठता तभी प्रासंगिक होगी जब उम्मीदवारों की योग्यता बराबर और अच्छी है। वरिष्ठता को वही पर विचार में लिया जाता है जहां योगयता,प्रतिभा और उपयुक्तता लगभग बराबर होती है। इन आर. एस. दास बनाम संघ और अन्य 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 617, में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> " 18. विनियमन 5 के संशोधित प्रावधानों ने चयन की प्रक्रिया में वरिष्ठता की भूमिका को कम और सीमित कर दिया है और इसने योग्यता को प्रधानता दी है। अब समिति को पात्र अधिकिारयों के उनके सेवा अभिलेखों का समग्र सापेक्ष मूल्यांकन कर उन्हें चार अलग–अलग श्रेणियों में अर्थात् "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अनुपयुक्त" में वर्गीकरण करने की आवश्यकता है और वर्गीकरण के बाद विनियम 5 (5) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन सूची में अधिकारियों के नामों का क्रम तैयार करेगी। चयन सूची में नामों का क्रम तय करने में समिति को प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों की वरिष्ठता का पालन करना होता है। यदि पाँच अधिकारी "उत्कृष्ट" श्रेणी में आते हैं तो उनके नाम राज्य सिविल सेवा में उनकी अंतर वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे। "बहुत अच्छे" और "अच्छे" की श्रेणी में

आने वाले अधिकारियों में से सूची तैयार करने में भी इसी सिद्धांत का पालन किया जायेगा । इसी तरह यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी का नाम "उत्कृष्ट" की श्रेणी में आता है, तो उसे "बहुत अच्छा" या "अच्छा" श्रेणी में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता में सूची में ऊपर रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में एक कनिष्ठ अधिकारी अगर "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" वर्गीकृत किया जाता है तो वह अपने वरिष्ठों को हटा देगा। यह मदद नहीं की जा सकती] जहाँ उच्च सेवा में पदोन्नति के लिये चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जाता है, वहाँ एक अधिकारी का चयन, जो अपने वरिष्ठ की वरीयता में सेवा में कनिष्ठ है, सख्ती से अधिक्रमण के बराबर नहीं है। जहाँ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है, वहाँ वरिष्ठ को अपने कनिष्ठों के खिलाफ पदोन्नति का अधिमानी अधिकार होता है, लेकिन जहाँ पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर की जाती है, वहाँ वरिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है और यदि उसके कनिष्ठों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए चुना जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी को कानूनी रूप से उसका स्थान नहीं ले सकता है। जब सेवा के सदस्यों के बीच चयन के लिए योग्यता मानदंड है, तो किसी भी अधिकारी को पदोन्नति लिए चुने जाने का कानूनी अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि उसे केवल दूसरों के साथ विचार किए जाने का अधिकार है। गुरदयाळ सिंह फिजी बनाम पंजाब राज्य (1981) 4 एस. सी. सी. 419 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सिविल सेवा के सदस्य को पदोन्नति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बजाय इसके उसे केवल दूसरों के साथ विचार किए जाने का अधिकार है। लेकिन यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को इस कारण से हटा दिया गया था कि उनके कनिष्ठ अधिकारियों को चयन सूची में शामिल किया गया था, संशोधित वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी।

21. रीः डाउन–ग्रेडिंग और नान रिकार्डिंग आफ रीजनः– यू. पी. एस. सी. फाइल No.F.6/18/2003–ए. आई. एस., दिनांक 24.12.2003 से, 2003 की चयन सूची से संबंधित, चयन समिति के द्वारा प्रथम उत्तरवादी का समग्र सापेक्ष मूल्यांकन' "बहुत अच्छा " के रूप में निर्णय किया गया था। लेकिन यू. पी. एस. सी. फाइल No.F.6/18/2004–ए. आई. एस. दिनांक 18.12.2004 के अनुसार, 2004 की चयन सूची से संबंधित चयन समिति के द्वारा प्रथम उत्तरवादी का समग्र सापेक्ष मूल्यांकन' " अच्छा " के रूप में निर्णय किया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस बात का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है कि अचानक प्रथम उत्तरवादी को उसके वर्गीकरण/समग्र मूल्यांकन में निम्न श्रेणी में क्यों रखा गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी दिखाया कि श्री टी. के. पोन्नुसामी, जिन्हें 2003 की चयन सूची के लिए "अयोग्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को 2004 की चयन सूची के लिए "बहुत अच्छा" घोषित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि चयन समिति व्यक्ति के वर्गीकरण/समग्र वर्गीकरण के मूल्यांकन में समान मानक का पालन नहीं कर रही थी, जिससे आई. ए. एस. के लिए उनके चयन पर सीधा असर पड़ता है।

22. उम्मीदवारों को वर्गीकृत करने के कार्य की शक्ति चयन समिति को है । पदोन्नति विनियमों के विनियम 5 (4) और 5 (5) के तहत चयन की प्रक्रिया में, चयन समिति को पात्र अधिकारियों के

संबंध में समग्र सापेक्ष मूल्यांकन निर्धारित करके या वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता में उच्च योग्यता वाले कनिष्ठ अधिकारी का चयन करने का कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आर. एस. दास बनाम भारत संघ और अन्य 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 617, में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब किसी वरिष्ठ अधिकारी को संशोधित विनियम 5 (5) के तहत हटा दिया जाता है, तो समिति को उसके हटाने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यह कि संशोधित विनियमों तहत चयन समिति को राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के अतिलंघन करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

23. आर. एस. दास का उल्लेख करने के बाद, के. राजैया में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> " 9. हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार का भी समर्थन नहीं कर सकते हैं कि चयन निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है। समिति को समिति को प्रथम उत्तरवादी को कम श्रेणी देते समय कारण दर्ज करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय नेशनल इंस्टीटयूट आफ मेंटल हेल्थ एड न्यूरो सांइस बनाम डॉ. के. कल्याण रमन 1992 पूरक (2) एससीसी 481 पर भरोसा किया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने की जगह, उक्त निर्णय में इस प्रस्ताव को निर्धारित किया कि चयन समिति का कार्य प्रशासनिक प्रकृति का होने के कारण, अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, जब कोई नियम या विनियमन नहीं है जो चयन समिति को कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य करता है। इस न्यायालय ने तब टिप्पणी की थी (एस. सी. सी पी. 485, पैरा 7)
>
> " यहां तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार भी किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण या चयन समिति या परीक्षक को वैधानिक आवश्यकता के अभाव में किसी व्यक्ति के चयन या गैर–चयन के कारणों को दर्ज करने के की आवश्यकता नहीं होती है। यह सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा आर. एस. दास बनाम भारत संघ 1986 सप एस. सी. सी. 617 (पी. 633) " में निर्धारित किया गया है।
>
> ....
>
> मौजूदा कानूनी स्थिति होने के कारण, न्यायालय को प्रथम उत्तरवादी को उस वर्ष के लिए तथाकथित डाउनग्रेडेशन को दोष नहीं देना चाहिए था। कानूनी रूप से, "डाउनग्रेडेशन" शब्द एक अनुचित अभिव्यक्ति है। चयन समिति के पास "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "अयोग्य" के रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति निहित है। यह चयन प्रक्रिया के लिए एक आनुषंगिक कार्य है, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दिया गया ए. सी. आर. एस. में दिया गया वर्गीकरण समिति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समिति मोटे तौर पर राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण द्वारा निर्देशित है, लेकिन अन्य अच्छे कारणों से, चयन समिति अपना स्वयं का वर्गीकरण तैयार कर सकती है जो ए. सी. आर. में दिए गए श्रेणीकरण से भिन्नता हो सकता है। वर्ष 1993–94 के संबंध में तत्काल मामले में यही किया गया है। इस

तरह का वर्गीकरण चयन समिति के विशेषाधिकार के भीतर है और कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह वांछनीय है कि राज्य सरकार से भिन्न श्रेणीकरण के मामले में, कारण दर्ज करना वांछनीय होगा। लेकिन चयन समिति के कार्य की प्रकृति और विनियमन 5 (4) के तहत प्राप्त शक्ति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्णय से किसी अधिकारी को भिन्न वर्गीकृत करने के लिये कारण दर्ज किए जाने की कानूनी आवश्यकता नहीं है। [रेखांकित करते हुए जोड़ा गया]

24. उपरोक्त निर्णय का अनुपात पूरी तरह से हाथ में मामले पर लागू होता है। जब चयन समिति ने अपना वर्गीकरण दिया है, तो न्यायालय विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन को अपील में हटा नहीं सकता है। संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम. साथिया प्रिया और अन्य (2018) 15 एस. सी. सी. 796, में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. चयन समिति में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाती है और उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के उक्त मामले के विशेषज्ञ अधिकारीयों का विधिवत प्रतिनिधित्व होता है। हमारी सुविचारित राय में, जब एक उच्च स्तरीय समिति या एक विशेषज्ञ निकाय ने प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार किया है, ग्रेडिंग का मूल्यांकन किया है और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किया है, तो चयन समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सी. ए. टी. और उच्च न्यायालय के लिए बैठने के लिए खुला नहीं है । यह प्रश्न कि प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाना है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, यह निर्धारित करने का विशेष रूप से अधिकार चयन समिति को है। चूँकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार क्षेत्र चयन समिति में निहित है और चूंकि चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए अदालतों के लिए आमतौर पर ऐसे मामले हस्तक्षेप करने के लिए खुले नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया या तो पूर्वाग्रह, दुर्भावना या मनमानेपन के आधार पर दूषित हो जाती है। यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह चयन समिति के निर्णयों पर उन्हें अपील के रूप में अपने समक्ष मामलों की सुनवाई करे और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करें। यह सवाल कि क्या कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय यानी चयन समिति द्वारा तय किया जाना है। न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की बहुत सीमित गुंजाइश है। [रेखांकित कर जोड़ा गया]

25. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि न तो चयन समिति के निर्णय और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमानी से ग्रसित थी । चूँकि प्रथम उत्तरवादी की निर्धारण वर्ष 2004 में श्रेणी कम थी , जिससे चयन सूची में प्रथम उत्तरवादी को शामिल नहीं किया गया था। सेवा अभिलेखों के समग्र मूल्यांकन पर, प्रथम उत्तरवादी का नाम चयन सूची में उसके आकार की वैधानिक सीमा के कारण शामिल नहीं किया गया था और क्योंकि चयन सूची में उच्च श्रेणी वाले अधिकारी विनियमन 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध थे। उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि चयन समिति अपने उचित परिप्रेक्ष्य में मामले के

सभी पहलुओं का आकलन करने में बुरी तरह विफल रही है और वर्ष 2004 की रिक्तियों के संबंध में आई. ए. एस. के लिए की गई पदोन्नति को दूषित कर दिया गया है और इसकी समीक्षा की जानी है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और निरस्त किये जाने योग्य है।

26. परिणामस्वरूप, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.33696 /2007 में पारित दिनांकित 17.04.2008 का विवादित निर्णय को निरस्त करते हुये यह अपील स्वीकार की गई । जहां तक प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जी. ओ. एम.एस No.1125 दिनांक 26.11.2011 को दी गई चुनौती का संबंध है, इस निर्णय में व्यक्त किए गए किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना उसको स्वयं के गुण–दोष पर विचार किया जाएगा।

अपीलों को स्वीकार किया गया

दिव्या पांडे

Translated and vetted by KK Suryawanshi 2nd ADJ Korba Chhattisgarh.